

परिशिष्ठ
(देखिये नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की

धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.	a) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का सक्षिप्त विवरण।	-	मसूरी सीवरेज योजना
	b) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वर्णों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	-	संलग्न है
	c) परियोजना की लागत।	-	6173.25 lac
	d) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	-	आरकेडिया जोन में ब्रिटिश काल में निर्मित सीवरेज योजना के निर्मित सेटिक टैक के स्थल के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न होने कारण उसी स्थल पर सीवरेज ट्राइटमेन्ट व प्लान्ट प्रस्तावित किया गया है
	e) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)	-	लागू नहीं
	f) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	-	रु0 100.00 लाख
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	-	0.02 हेक्टेर
3.	a) परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	-	x
	b) परिवारों की संख्या	-	x
	c) अनुपूर्वित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	-	x
	d) पुरुन्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	-	केवल औपचारिक
4.	e) क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ / नहीं)	-	संलग्न है
5.	f) प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की व्यवस्था संलग्न की जाये निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा।	-	संलग्न है
6.			

दिनांक..... 4/7/2017
स्थान..... Dehradun

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
नाम: सुमीष चन्द्र
मोहर: Uttarakhand Peyjal Nigam
Mussoorie (Dehradun)

प्रस्ताव की क्रम संख्या..... F.P.UK/Other/23/57135/2017
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)